

बिहार सरकार  
सामान्य प्रशासन विभाग

॥ अधिसूचना ॥

पटना-15, दिनांक-

सं०-14/प्रो० 109/2014-सा०प्र०- / क्ति विभाग की संकल्प सं० 7566 दिनांक 14.7.10 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य संकल्पों के आलोक में बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों को बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त "रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति ऊप्यन योजना 2010" के प्रावधानों के तहत उनके नाम के सामने अंकित तिथि से पे-बैंड ₹15,600-39,100/-, ग्रेड पे ₹7,600/-में द्वितीय रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति ऊप्यन की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

| क्र० | पदाधिकारी का नाम          | कोटि क्रमांक<br>(2011 का) | द्वितीय वित्तीय उन्नयन की<br>तिथि |
|------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| 1    | 2                         | 3                         | 4                                 |
| 1    | श्री गुप्तेश्वर प्रसाद    | 370                       | 12.7.11                           |
| 2    | श्री नारायण प्रसाद        | 372                       | 31.7.11                           |
| 3    | श्रीमती नीलम चौधरी,       | 513                       | 22.5.10                           |
| 4    | श्री विजय रंजन,           | 515                       | 21.6.10                           |
| 5    | श्री सतीश कुमार शर्मा,    | 516                       | 12.6.10                           |
| 6    | श्री अजय कुमार पाण्डेय,   | 521                       | 04.06.10                          |
| 7    | श्री कृत्यानंद सिंह,      | 523                       | 12.06.10                          |
| 8    | श्री विनोदानंद झा,        | 524                       | 25.06.10                          |
| 9    | श्री जिउत सिंह,           | 525                       | 11.06.10                          |
| 10   | श्री सच्चिदानंद सिंह,     | 526                       | 01.06.10                          |
| 11   | श्री विमलेश कुमार झा,     | 527                       | 30.06.10                          |
| 12   | मो० जफर रकीब,             | 528                       | 01.07.13                          |
| 13   | श्री आमोद कुमार शरण,      | 530                       | 01.04.13                          |
| 14   | श्री संजय कुमार उपाध्याय, | 531                       | 26.6.10                           |
| 15   | श्री राकेश मोहन,          | 532                       | 04.06.10                          |
| 16   | श्री अखिलेश कुमार झा,     | 533                       | 23.5.10                           |
| 17   | मो० अंसार अहमद,           | 534                       | 23.5.10                           |
| 18   | श्री दयानन्द मिश्र,       | 535                       | 23.5.10                           |
| 19   | श्री रामेश्वर पाण्डे,     | 536                       | 20.8.10                           |
| 20   | श्री राजकुमार सिन्हा,     | 538                       | 08.8.10                           |
| 21   | श्री श्याम किशोर,         | 541                       | 22.6.10                           |
| 22   | श्री रागईश्वर,            | 543                       | 20.06.10                          |
| 23   | डा० जवाहर लाल सिन्हा,     | 545                       | 12.06.10                          |
| 24   | श्री ओम प्रकाश यादव,      | 547                       | 09.08.10                          |
| 25   | श्री अमरनाथ साहा,         | 549                       | 19.06.10                          |

2/13  
E/11/14

|    |                      |     |          |
|----|----------------------|-----|----------|
| 26 | श्री अजय कुमार सिंह, | 558 | 12.06.10 |
| 27 | श्री मनोज कुमार झा,  | 559 | 22.06.10 |
| 28 | श्री सजय कुमार सिंह, | 560 | 15.06.10 |
| 29 | श्री भीम प्रसाद,     | 561 | 02.07.10 |

2. द्वितीय ँयन के फलस्वरूप पदाधिकारियों का वेतन नियतिकरण रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति ँयन योजना के परिशिष्ट-1 के नियम 4 के अनुसार किया जाएगा ।

3. उपर्युक्तकिसी भी पदाधिकारी के संबध में भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि या पार्थक्य पाये जाने पर संबधित पदाधिकारी को प्रदत्त एम०ए०सी०पी० योजना के लाभ से संबधित आदेश को रद्द/संशोधित कर दिया जाएगा तथा उन्हें भुगतान की गयी राशि की वसूली/प्रतिपूर्ति कर ली जाएगी ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/ -

( अनिल कुमार )


सरकार के अपर सचिव

ज्ञापक-14/प्र० 109/2014-सा०प्र०-15098/

पटना-15, दिनांक-6/11/14

प्रतिलिपि : अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ/महालेखाकार बिहार, पटना/ किा (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना /मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/सभी संबधित विभाग एवं विभागाध्यक्ष/सभी संबधित कोषागार पदाधिकारी/प्रधान सचिव के कोषांग, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/मंत्रिपरिषद् के बैठक दिनांक 5.11.14 के मद सं० 13 के आलोक में विशेष सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को/ प्रबंधक, आई० टी, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं सी०डी० तैयार कर राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को भेजने हेतु /सामान्य प्रशासन विभाग के सभी पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-2,8 एवं चारित्री कोषांग, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना /सभी संबधित पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित

2 महालेखाकार, बिहार/ किा (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना से अनुरोध है कि किा विभाग की संकल्प सं० 7566 दिनांक 14.7.10 के अन्तर्गत निर्धारित सुसंगत प्रावधानों के अनुसार जाँच कर यथानुमान्य वेतनपूर्ति निर्गत किया जाय ।

  
सरकार के अपर सचिव